रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06082025-265229
CG-DL-W-06082025-265229

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 26] नई दिल्ली, जुलाई 27—अगस्त 2, 2025, शनिवार/ श्रावण 5—श्रावण 11, 1947

No. 26] NEW DELHI, JULY 27— AUGUST 2, 2025, SATURDAY/SHRAVANA 5— SHRAVANA 11, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 114.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, सफाई अधीक्षक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में सफाई अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, सफाई अधीक्षक (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उनको लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।**	**चयन पद या अचयन पद।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
सफाई अधीक्षक।	02* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 (29200-92300 रुपये)।	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.) में सफदरजंग अस्पताल में ऐसे सफाई निरीक्षक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा की हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल -अध्यक्ष; 2. विभागाध्यक्ष (संबंधित), सफदरजंग अस्पताल -सदस्य ; 3. उप निदेशक (संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.11018/02/2023-एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 10th July, 2025

G.S.R. 114.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi Sanitary Superintendent (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Sanitary Superintendent in the Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Sanitary Superintendent (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay-matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Sanitary Superintendent	02* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix.	Non-selection.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grade from which promotion or deputation / absorption to be made.**
(10)	**(11)**
By Promotion.	Promotion: Sanitary inspector of Safdarjung Hospital with five years of service in level-4 (Rs. 2550-81100) in the pay matrix rendered after appointment thereto on regular basis. Note: Where junior who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital -Chairman; 2. Head of Department (Concerned), Safdarjung Hospital - Member; 3. Deputy Director (Concerned), Directorate General of Health Services -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.11018/02/2023-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 115.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, सफाई निरीक्षक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में सफाई निरीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, सफाई निरीक्षक (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उनको लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए

उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।**	**चयन पद या अचयन पद।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सफाई निरीक्षक	07* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये)।	लागू नहीं होता	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच। [केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।] टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से सफाई निरीक्षक या स्वास्थ्य निरीक्षक या सफाई स्वास्थ्य निरीक्षक या स्वास्थ्य सफाई निरीक्षक का डिप्लोमा। **टिप्पण 1:** अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएं सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। **टिप्पण:** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना	सीधी भर्ती। **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले केन्द्रीय सरकार के

या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		अनिवार्य होगा।	अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा; और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अहरणताएं और अनुभव हैं।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	**(12)**	**(13)**
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल - अध्यक्ष; 2. विभागाध्यक्ष (संबंधित), सफदरजंग अस्पताल - सदस्य; 3. उप निदेशक (संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.11018/02/2023-एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 10th July, 2025

G.S.R. 115.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, Sanitary Inspector, New Delhi (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Sanitary Inspector in the Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Sanitary Inspector (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay-matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Sanitary Inspector	07* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix.	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**
(6)	**(7)**	**(8)**
Between 18-27 years (Relaxble for departmental candidates up to forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.	12th class pass from a recognised Board or University and having Diploma of Sanitary Inspector or Health Inspector or Sanitary Health Inspector or Health Sanitary Inspector from a recognised institute or university. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority or the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent	Not applicable.

	authority or the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	

Period of probation, if any.	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grade from which promotion or deputation / absorption to be made.**
(9)	**(10)**	**(11)**
Two years. Note: There shall be an mandatory training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as specified by the Central Government.	Direct Recruitment. Note: The vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital -Chairman; 2. Head of Department (Concerned), Safdarjung Hospital -Member; 3. Deputy Director (Concerned), Directorate General of Health Services -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.11018/02/2023-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 116.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में परामर्शदाता के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, परामर्शदाता (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4 . निरर्हता:- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचितजातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन या अचयन पद।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
परामर्शदाता	01* (2025) * *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.)।	लागू नहीं होता ।	आयु 18 से 30 वर्ष के बीच **टिप्पण 1:** केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित तारीख आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख होगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो ।**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
I. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से परामर्श मनोविज्ञान या चिकित्सीय मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; या	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष। टिप्पण: केंद्रीय	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)/ आमेलन, जिसके

II. (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्नातक डिग्री। (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परामर्श मनोविज्ञान में डिप्लोमा और (ग) किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल अथवा संस्थान से परामर्श मनोविज्ञान अथवा चिकित्सीय मनोविज्ञान के क्षेत्र मे दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए न्यूनतम दो सप्ताह का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है)/आमेलन: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या वैधानिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविध्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हों ; अथवा (ii) जिन्होंने मूल काडर अथवा विभाग में पद पर नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200- 92300 रुपये) अथवा समकक्ष में छह वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) जो स्तम्भ 7 में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन	समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल है: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल -अध्यक्ष; 2. संबंधित विभागाध्यक्ष, लेडी	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं हैं।

या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3: केवल केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारीगण ही आमेलन के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारणीय पात्र होंगे।	हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल -सदस्य; 3. संबंधित उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य।	

[फा. सं. ए.12018/22/2024-एम एच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 14th July, 2025

G.S.R. 116.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Counselor, in the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, in the Ministry of Health and Family welfare, namely:-

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Counselor (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualification required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Counselor.	*01 (2025) * Subject	General Central Service,	Level-6 in the pay	Not applicable.	Between 18 and 30 years of age.	(i) Master's degree in Counseling Psychology or Clinical Psychology from a

	to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	matrix (Rs. 35400-112400).		**Note 1**: Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	recognised university or institute; or (ii) (a) Bachelors' degree in Psychology from a recognised University; (b) Diploma in Counseling Psychology from a recognised University; and (c) two years experience in the field of counselling or psychology or clinical psychology in a recognised hospital or institute. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the competent authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the**	**In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**

		vacancies to be filled by various methods.			
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	Two years. **Note:** There shall be a mandatory training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By deputation (including short-term contract)/ absorption, failing which by direct recruitment.	Deputation (including short-term contract)/absorption: Officers of the Central Government or the State Government or the Union territories or autonomous or statutory organisations or Public sector undertakings or universities or recognised research institutions:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service in the post rendered after appointment thereto on a regular basis in level-5 (Rs. 29200-92300) the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1.- The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2. -** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3.** –Only Central Government or State Government employees are eligible for consideration for appointment on absorption basis.	Group 'B' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Chairperson; 2. Head of the Department (concerned), Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Member; 3. Deputy Director (concerned), Directorate General of Health Services –Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/22/2024-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 117.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन भर्ती नियम, 2019 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन याअचयन पद।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन।	08* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर -4 (25500-81100 रुपये)	अचयन	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रोन्नति: (i) (क) सांख्यिकीविद् सह मेडिकल रिकॉर्ड लाइब्रेरियन, वेतन मैट्रिक्स में स्तर -3 (21700-69100 रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ और सरकारी संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मेडिकल रिकॉर्ड प्रशिक्षण प्रमाण पत्र रखते हैं; और (ख) सरकारी संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के मेडिकल रिकॉर्ड विभाग में कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव , या (ii) (क) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के ग्रुप-ग कर्मचारी, वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (1900-63200 रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा के साथ और सरकारी संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मेडिकल रिकॉर्ड प्रशिक्षण प्रमाण पत्र रखते हैं; और (ख) सरकारी संस्था या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के मेडिकल रिकॉर्ड विभाग में कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव, या (ii) (क) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के ग्रुप-ग कर्मचारी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -1 (1800-56900 रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में ग्यारह वर्ष की नियमित सेवा की हो और सरकारी संस्था या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मेडिकल रिकॉर्ड प्रशिक्षण प्रमाणपत्र रखते हों; और (ख) सरकारी संस्था या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के मेडिकल रिकॉर्ड विभाग में कम से कम तीन वर्ष का कार्य अनुभव। प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल -अध्यक्ष; 2. उप निदेशक, प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 में पद धारण किए हुए हों और (ख) निम्नलिखित अर्हता और अनुभव रखते हों: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मेडिकल रिकॉर्ड तकनीशियन में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र; और (ii) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान में मेडिकल रिकॉर्ड विभाग में पांच वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	3. उप-निदेशक प्रशासन (संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य।	

[फा. सं. ए.11018/27/2021-एम एच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 14th July, 2025

G.S.R. 117.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Medical Record Technician Recruitment Rules, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Medical Record Technician in the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi under the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi, Medical Record Technician (Group 'C' post), Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Medical Record Technician	8* (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix.	Non-Selection	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By Promotion, failing which by deputation (including short term contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: (i) (a) Statistician cum Medical Record Librarian with five years of service in the grade rendered after appointment thereto	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)	Consultation with the Union Public Service

on regular basis in Level-3 (Rs. 21700-69100) in the pay matrix and possessing Medical Record Training Certificate from government institute or from any recognised university or institute; and (b) working experience of not less than two years in the Medical Record Department of government institution or any recognised institute, or (ii) (a) Group-C staff of the LHMC & SSKH with eight years of service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-2 (Rs. 1900-63200) in the pay matrix and possessing Medical Record Training Certificate from government institute or from any recognised university or institute; and (b) working experience of not less than two years in the Medical Record Department of government institution or any recognised institute, or (iii) (a) Group-C staff of the LHMC & SSKH with eleven years of service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix and possessing Medical Record Training Certificate from government institute or from any recognised university or institute; and (b) working experience of not less than three years in the Medical Record Department of government institution or any recognised institute. Deputation (including short term contract):- Officers or staff of the Central or State Government or Union Territory administration or recognised university or recognised research institute or public sector undertaking or semi government or statutory or autonomous organisations: (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) holding post in the level 1 in the pay matrix with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis; and (b) possessing the following qualification and experience: (i) Diploma or Certificate in Medical Record Technician from a recognised university or Institute; and (ii) five years of experience in Medical Records Department in a Government recognised Hospital or institute. **Note 1.-** period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2. -** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not	consisting of : 1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Chairman; 2..Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member; 3. Deputy Director (concerned), in Directorate General of Health Services -Member.	Commission is not necessary.

exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

[F. No. A.11018/27/2021-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 118.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र अस्पताल, नई दिल्ली में आहारविद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र अस्पताल, आहारविद, (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर–** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आहारविद।	01 (2025)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7- (44900 – 142400/- रु.)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है)/ आमेलन।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है)/ आमेलन: केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा स्वायत्त निकाय अथवा कानूनी संगठन अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु .35400–112400/-) के पद पर पाँच वर्षों की नियमित सेवा की हो, और (ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते होः **(क)** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य और पोषण या गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या नैदानिक पोषण और आहार विज्ञान में मास्टर डिग्री; अथवा	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य और पोषण या खाद्य विज्ञान और पोषण या गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या नैदानिक पोषण और आहार विज्ञान या खाद्य और पोषण आहार विज्ञान या आहार विज्ञान और खाद्य सेवा प्रबंधन में मास्टर डिग्री; अथवा **(ख)** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य और पोषण या खाद्य विज्ञान और पोषण या गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या नैदानिक पोषण और आहार विज्ञान या खाद्य और पोषण आहार विज्ञान या आहार विज्ञान और खाद्य सेवा प्रबंधन में स्नातक डिग्री; तथा (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आहार विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या वैधानिक निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन 100 बिस्तरों वाले अस्पताल या संगठन में आहार विज्ञान में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। **टिप्पण 1:** केवल केंद्रीय या राज्य सरकार के अधिकारी ही आमेलन पर नियुक्ति के पात्र होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए.12015/01/2025-एच-II]

अनुराग तिवारी, अवर सचिव

New Delhi, the 24th July, 2025

G.S.R. 118.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Dietician in Rural Health Training Centre Hospital, Najafgarh, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Rural Health Training Centre Hospital, Najafgarh, New Delhi, Dietician, (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, −

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Dietician.	01* (2025) *(subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).

Whether selection post or non-selection post.	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(5)	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation/ absorption is to be made.**
(10)	**(11)**
Deputation (including short-term contract)/ absorption.	Officers of the Central Government or the State Government or Union territory Administrations or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or university or recognized research institutions:- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in posts in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) in the parent cadre or department, and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (A) (i) Master's Degree in Food and Nutrition or Home Science or Home Economics or Clinical Nutrition and Dietetics from a recognised university or institute; or (ii) Master's Degree in Food Science and Nutrition or Food and Nutrition Dietetics or Dietetics and Food Service Management from a recognised university or institute;

	or (B) (i) Bachelor of Science in Food and Nutrition or Food Science and Nutrition or Home Science or Home Economics or Clinical Nutrition and Dietetics or Food and Nutrition Dietetics or Dietetics and Food service management from a recognised university or institute; and (ii) Post Graduate Diploma in Dietetics from a recognised university or institute; and (iii) one year practical experience in Dietetics in a 100 bedded hospital or organisation under the Central Government or the State Government or Union territory administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertaking or university or recognised research institute. **Note 1:** The Central Government or State Government officers shall only be considered for absorption. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12015/01/2025-H-II]

ANURAG TIWARI, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 119.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र अस्पताल, नज़फगढ़, नई दिल्ली में नेत्र विज्ञानी सहायक/ रिफ़्रैक्शनिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र अस्पताल, नज़फगढ़, नई दिल्ली में नेत्र विज्ञानी सहायक/रिफ़्रैक्शनिस्ट, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि -** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदकी संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद या अचयन पद।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नेत्र विज्ञानी सहायक/ रिफ़्रैकस्निस्ट	01 (2025)* *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये)।	लागू नहीं होता।	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच । **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख़ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथाविज्ञापित होगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**

	या नहीं।		
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या अस्पताल से दृष्टिमिति में डिग्री; (ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। अथवा (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या अस्पताल से दृष्टिमिति में डिप्लोमा; (ii) संगत क्षेत्र में दो वर्षों का अनुभव। **टिप्पण1:** अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएँ, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए न्यूनतम दो सप्ताह का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती; ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/ आमेलन द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रतिनियुक्ति :केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या वैधानिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों, अथवा (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/- रुपये) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है। और (ख) जो स्तंभ 7 में विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि,	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़ - अध्यक्ष; 2. अस्पताल या चिकित्सा अधीक्षक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र अस्पताल - सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।

साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी ही आमेलन पर नियुक्ति के पात्र होंगे।	3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र अस्पताल का कार्य देख रहे उप निदेशक (प्रशासन) - सदस्य।	

[फा. सं. ए.12018/08/2024-एच-II]

अनुराग तिवारी, अवर सचिव

New Delhi, the 24th July, 2025

G.S.R. 119.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Ophthalmic Assistant/ Refractionist in the Rural Health Training Centre Hospital, Najafgarh, New Delhi, in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.**– (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Rural Health Training Centre Hospital, New Delhi, Ophthalmic Assistant/ Refractionist, (Group ‘C’ post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**– The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**– No person, −

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualification required for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ophthalmic Assistant/ Refractionist.	01* (2025) *Subject to variation dependent	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300).	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. **Note 1:** The upper age-limit is relaxable	(i) Degree in Optometry from a recognised institution or hospital; (ii) One year experience in the relevant field;

	on workload.	Ministerial.			for departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Or (i) Diploma in Optometry from a recognised institution or Hospital. (ii) Two years experience in relevant field. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	Two years. **Note -** There shall be a mandatory	Direct recruitment failing which by deputation (including short- term	**Deputation**: Officer of the Central Government or the State Government or Union territory Administration or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

	induction training of at least two weeks for successful completion of probation as prescribed by the Competent Authority.	contract) / absorption.	universities or recognised research institutions: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100/-); and (b) possessing the educational qualifications and experience as specified in column (7). **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications. **Note 3:** The Central Government or the State Government officers shall only be considered for absorption.	1. Director, Rural Health Training Centre, Najafgarh -Chairperson; 2. Hospital/ Medical Superintendent, Rural Health Training Centre Hospital – Member; 3. Deputy Director (Administration) looking after the work of Rural Health Training Centre Hospital in Directorate General of Health Services –Member.	

[F. No. A.12018/08/2024-H-II]

ANURAG TIWARI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.08.06 14:30:19 +05'30'